फिन-ए-सी (5)1/2021-VIII
हिमाचल प्रदेश सरकार
वित्त (बजट) विभाग

प्रेषक:

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त),
हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला - 02.

प्रेषित:

समस्त विभागाध्यक्ष,
हिमाचल प्रदेश ।

दिनांक: शिमला - 171002. 18/11/2021

विषय:- अनुग्रह अनुदान राशि (Ex-gratia Grant) वितरण हेतु ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे इस विभाग के पत्र संख्या फिन-ए-सी (5)1/2021-V-लूज़ दिनांक 17.08.2021 के क्रम को जारी रखते हुए यह कहने का निर्देश हुआ है कि विभागों से अनुग्रह अनुदान राशि की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव अभी तक उक्त निर्देशों के आधार पर प्राप्त नहीं हो रहे हैं । इससे ऐसा प्रतीत होता है कि विभागाध्यक्षों द्वारा इस संदर्भ में आहरण एवं वितरण अधिकारियों (DDOs) को आवश्यक निर्देश जारी नहीं किये गये हैं । इसके अतिरिक्त वित्त विभाग के ध्यान में यह भी आ रहा है कि विभागों से मृतक कर्मचारियों के आश्रितों के पक्ष में अनुग्रह अनुदान आबंटन हेतु जो प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं, उनमें विभागों द्वारा मृतक कर्मचारियों के बारे में पूर्ण विवरण नहीं दिया जा रहा है, जिस कारण भी इन प्रस्तावों के निपटान में विलम्ब हो रहा है । अत: आपसे अनुरोध है कि अनुग्रह अनुदान आबंटन हेतु प्रस्ताव भेजते समय मृतक कर्मचारी का निम्न विवरण प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध करवाएं :-

1. Name of the deceased Government employee.
2. Designation.
3. Date of appointment.
4. Date of death of employee.
5. Regular or Contract employee.
6. Minimum of the Pay Band + Grade Pay in case of contract employee.
7. Basic Pay (Pay in the Pay Band + Grade Pay) of the official/officer imidiately before death in case of regular employees.
8. Amount admissible on account of Ex-gratia Grant.
9. Salary Code of deceased employee (IP No.).
10. Treasury Code.
11. DDO Code.
12. DDO Phone Number.

13. DDO e-mail ID.
14. Certificate to the effect that no Ex-gratia Grant has been drawn/paid earlier.

अतः समस्त विभागों से आग्रह है कि इस बारे में समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी करना सुनिश्चित करें । अधूरी सूचना के कारण अनुग्रह अनुदान आबंटन के प्रस्तावों पर विचार करना सम्भव नहीं होगा । अनावश्यक विलम्ब हेतु सम्बन्धित विभाग जिम्मेदार होगा ।

भवदीय,

(प्रदीप कुमार)
उप सचिव (वित्त),
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

पृष्ठांकन संख्या: फिन-ए-सी (5)1/2021-VIII दिनांक: शिमला - 171002. 18/11/2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रधान महालेखाकार (अंकेक्षण), हिमाचल प्रदेश, शिमला - 171003.
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), हिमाचल प्रदेश, शिमला - 171003.
3. निदेशक, कोष, लेखा एवं लॉटरी विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला - 171009.
4. समस्त मण्डल आयुक्त, हिमाचल प्रदेश ।
5. रजिस्ट्रार जनरल, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, शिमला - 171002.
6. समस्त उपायुक्त, हिमाचल प्रदेश ।
7. नियन्त्रक (वित्त एवं लेखा), कार्मिक विभाग, हिमाचल प्रदेश सचिवालय, शिमला -171002.
8. निरीक्षक, स्थानीय निधि लेखा, हिमाचल प्रदेश ।
9. रक्षक नस्ति ।

(प्रदीप कुमार)
उप सचिव (वित्त),
हिमाचल प्रदेश सरकार ।